डॉ. रमेश कुमार गोहे

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

लैंगिक समानता नीति

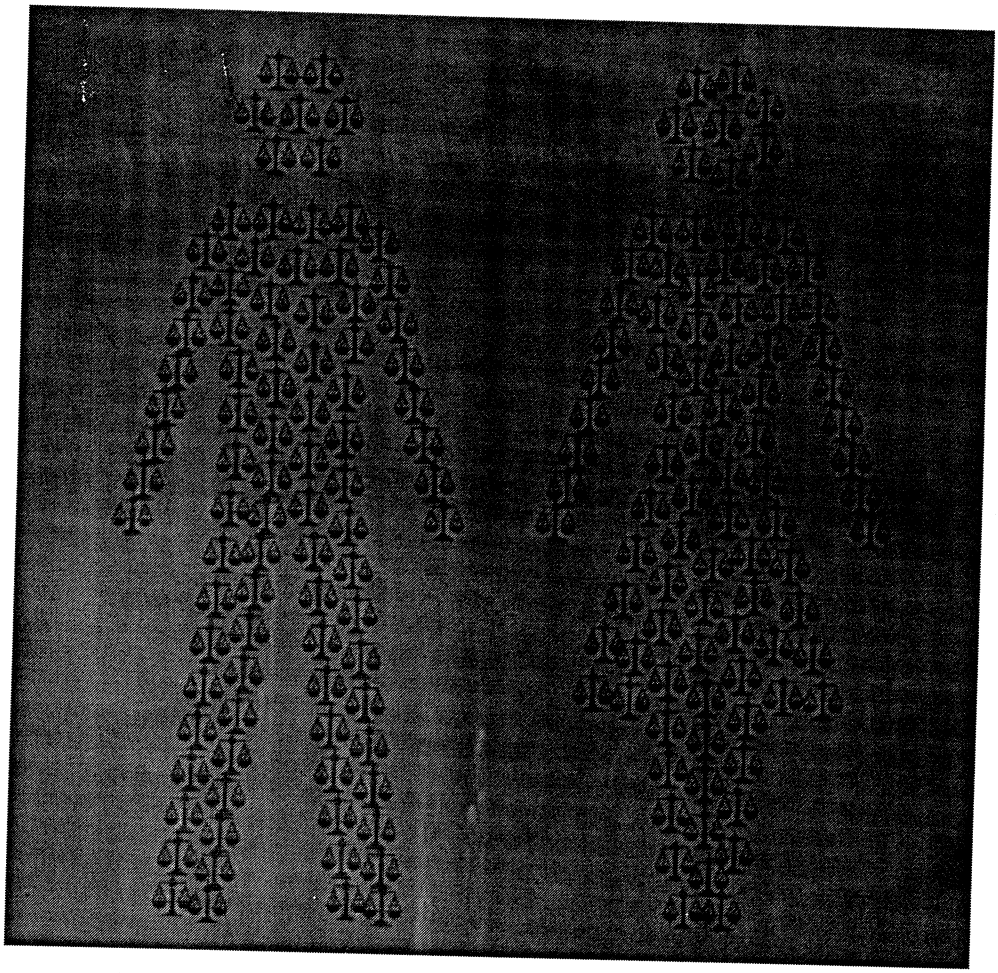

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
लैंगिक समानता नीति

प्रस्तावना

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (जीजीवी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 12 (B) और 2 (F) के तहत मान्यता प्राप्त एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वर्तमान स्थिति में विश्वविद्यालय में 32 विभागों के माध्यम से 7500 नियमित छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय में वर्तमान स्थिति के अनुसार अपनी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए 400 शिक्षक सदस्य और 279 सहायक कर्मचारी हैं।

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, 2009 से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यह भारत का शैक्षिक रूप से एक चुनौतीपूर्ण राज्य है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी निवासरत है।

छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा और अनुसंधान का एक संस्थान है, जिसका लक्ष्य देश के इस हिस्से के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना है। यद्यपि विश्वविद्यालय अपने विकास के प्रारंभिक चरण में है, यह एक समतावादी समाज का हिस्सा बनने की दिशा में सभी गंभीर प्रयास कर रहा है।

यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिसर में एक सुरक्षित, सुदृढ़ और एकजुटता के साथ सीखने का वातावरण निर्मित करना महत्वपूर्ण है।

इसके साथ सर्वसम्मति से जीजीवी ने लैंगिक समानता और इससे जुड़े मुद्दों की अवधारणा को समझने और सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा विकसित किया है। लिंग किसी भी समाज के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रमुख संस्थानों में उपलब्ध महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच, प्रबंधन और स्वामित्व के पुरुषों और महिलाओं के अधिकार भी तदनुसार भिन्न होते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था में लैंगिक संबंध उस समाज में पुरुषों और महिलाओं को दिए गए सापेक्ष महत्व को इंगित करता है। यह समाज में उनके प्रभाव और उस समाज की निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभाव डालने की उनकी क्षमता के बारे में बताता है। इस प्रकार, लैंगिक प्रभाव का सामाजिक निर्माण महिलाओं और पुरुषों के जीवन को आकार देता है; यह उनके दैनिक अनुभवों को नियंत्रित करता है और उनके द्वारा अपनी दिनचर्या में चुनी गई रणनीतियों को निर्धारित करता है। लिंग का मानचित्रण यह समझने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न संस्थानों में पुरुष और महिलाएं कैसे विकल्पों और बाधाओं में मध्यस्थता करते हैं और लैंगिक संबंधों पर फिर से बातचीत करने के लिए कौन से मानदंड और नीतियां अपनाई जाती हैं। भारतीय संविधान पुरुषों और

महिलाओं दोनों को उपचार की समानता प्रदान करता है। लेकिन संवैधानिक प्रावधानों और विभिन्न सरकारों के गंभीर प्रयासों के बावजूद, यह पाया गया है कि भारतीय समाज में महिलाओं का समूह सबसे बड़े हाशिए पर बना हुआ है। महिलाओं की प्रतिकूल स्थिति को सुधारने में शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक संबंधों को समझने की तत्काल आवश्यकता है।

उद्देश्य

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

1.हितधारकों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

2. विशेष रूप से महिलाओं के प्रति सम्मान और लैंगिक समानता की संस्कृति विकसित करना।

3. महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने के अवसर प्रदान करना |

4. इस आशय के लिए समय-समय पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन करना।

5. निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी प्रभावी भागीदारी के लिए हितधारकों के बीच नेतृत्व गुणों को विकसित करने और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के प्रयास करना।

6. लैंगिक पूर्वाग्रह के प्रति जीरो टॉलरेंस और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना।

7. भारत सरकार और राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त संशोधित दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के मामले में उद्देश्य को फिर से सुनिश्चित किया जा सकता है।

नीति कार्यान्वयन पहल

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय का लक्ष्य गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में 'महिला प्रथम' कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित संबंधित गतिविधियों का संचालन करना है।

- कार्यस्थल पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम और यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों को प्रोत्साहित करना ।
- महिला सशक्तिकरण, आरक्षण नीति, चरित्र निर्माण और नैतिकता जैसे लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर वाद-विवाद और वक्तृता को बढ़ावा देना।

• लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों पर प्रश्नोत्तरी, पोस्टर प्रतियोगिता और थीम नाटकों का आयोजन करना।

• लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विशेष रूप से मौलिक अधिकारों, कानूनी उपायों आदि पर विशेषज्ञों के व्याख्यान आमंत्रित करना |

• विभिन्न लैंगिक मुद्दों पर अन्य संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

• विश्वविद्यालय जेंडर चैंपियन क्लब का गठन करना और उसकी गतिविधियों को बढ़ावा देना।

• सामुदायिक कार्यक्रम के तहत लैंगिक मुद्दों के प्रति ग्रामीण समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए जेंडर चैंपियन के दौरों का आयोजन करना।

अनुमानित परिणाम

इस नीति के तहत उद्देश्य और सुझाई गई गतिविधियां हितधारकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता विकसित करना और प्रभावी निर्णय लेने के लिए उनमें विश्वास पैदा करना है। नीति के क्रियान्वयन से लैंगिक मुद्दे पर वैचारिक ढांचे और विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा और परिसर में एक अनुकूल वातावरण विकसित करने में मदद मिलेगी।